



राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर

(राजस्थान सरकार का स्वायत्तशासी संस्थान,)

नारेली तीर्थ के पास, बडलिया चौराहा, अजमेर

www.ecajmer.ac.in

mail : principal@ecajmer.ac.in

Telefax : 0145- 2671801

क्रांक : राअमअ / लेखा / 2019 / 97

दिनांक : 04/6/19

आवश्यक सूचना

महाविद्यालय के सभी शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कार्मिकों को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार के मकान किराया भत्ता नियम, 1989 के अनुसार निम्न लिखित मामलों में मकान किराया भत्ता देय नहीं होगा :-

- (अ) जो सरकारी मकान या सरकार द्वारा अधिग्रहित आवास में रहता है।
- (ब) जिसको सरकारी आवास आवंटित किया जाता है उसमें रहने की तिथि या आवंटन के 08 दिन बाद जो भी स्थिति पहले हो।
- (ब) जिसका पति/पत्नी, माता-पिता, पुत्र-पुत्री को राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा या किसी स्वायत्तशासी संस्था द्वारा आवास आवंटित किया हुआ है।

अतः उक्त के संबंध में सभी कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि महाविद्यालय में नियुक्ति दिनांक के समय से आज दिनांक तक यदि किसी भी कार्मिक द्वारा राजकीय आवास में रहा हो या रह रहे हो या उक्त श्रितेदारी में आवंटित आवास में रहा है तो उक्त की सूचना 15 दिवस में दस्तावेजों के साथ लेखपत्राखा को सूचित करने का श्रम करें ताकि नियमानुसार कार्यवाही की जा सके। इसके पश्चात उक्त के क्रम में किसी भी प्रकार की शिकायत या सूचना महाविद्यालय को प्राप्त होती है तो उसके विरुद्ध अनुससनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी जिसकी जिम्मेदारी स्वयं कार्मिक की होगी।

04/6/19
उप कुलसचिव (वित्त)

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. निजी सचिव, प्राचार्य राअमअ कार्यालय।
2. रक्षक पत्रावली।